

**पत्रांक-श्रम क०सं०-24/2025 (अंश)-195**  
**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति**  
**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 01 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को 50,000/- (पचास हजार रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० श्याम सुंदर यादव, 45, सीताराम यादव, पिछड़ा वर्ग	पूनम देवी (पत्नी) 976216758460	08 02.01.2026 एवं 896 20.11.2025	ग्राम+पो०-गंगापुर वार्ड-09, प्र०+थाना-मुरजीगंज जिला-मधेपुरा 9296534792	353869 72579	SBI SBIN000 2979	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० अजीत कुमार चौधरी, 35, लक्ष्मीकांत चौधरी, सामान्य जाति	पूजा कुमारी (पत्नी) 886309286874	919 28.11.2025 747 10.09.2025	ग्राम-वसुदेवपुर, वार्ड-06, पो०-कुरसंडी, प्र०+थाना-पुरैनी, जिला-मधेपुरा 9142926325	581421 2675	CBI CBIN02 82631	रू० 2,00,000/ - (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मनरेगा मजदूर

**कुल :-2,50,000/-**

**(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र)**

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं०-8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं०-3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-24/2025 (अंश)-195

पटना, दिनांक :- 11/11/2025

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनाार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/उप श्रमायुक्त,

मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13/02/2026  
Signed by Rohit Kumar  
Date: 13-02-2026 17:32:16

(रोहित कुमार)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

Signed by Rajesh Bharti  
Date: 16-02-2026 15:49:02  
(राजेश भारती)  
कार्यकारी निदेशक